

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 161083 /  
सं0सं0-गा0वि0-4-गो0अभि0-16-09/2011

पटना, दिनांक 27/08/13

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी (भा0प्र0से0),  
आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी  
सभी उप विकास आयुक्त,  
बिहार ।


विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त संदर्भ में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेते समय निम्न कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

1. DRDA के जिन कर्मियों को सेवानिवृत्त Pension (पेंशन) देय नहीं है, उन की सेवायें लेते समय उन्हें प्राप्त अन्तिम वेतन के समतुल्य राशि मासिक मानदेय के रूप में भुगतान, इस पर DRDA की कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, किया जा सकता है ।
2. रिक्तियों के अंतर्गत ही सेवानिवृत्त कर्मी रखे जायेगे ।
3. आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0- 2804 दिनांक- 29.03.2010 की अन्य शर्तें मान्य होगी ।

विश्वासभाजन

  
(अरविन्द कुमार चौधरी)  
आयुक्त, स्वरोजगार